

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/22536

दिनांक 30 मार्च, 2020

:: आदेश ::


भीलवाड़ा जिले में कोविड-19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु आदेश दिये जाते हैं कि -

1. जिला कार्यालय की अनुमति के बिना कोई पास जारी नहीं किया जावेगा एवं मान्य नहीं होगा।
2. न्यायोचित एवं उचित कारण स्पष्ट करने पर, आवश्यक समझे जाने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित संलग्न प्रारूप में पास जारी करने हेतु सीमित/न्यूनतम संख्या में प्रस्ताव जिला कार्यालय को मेल आई0डी0 **dm-jud-bhi-rj@nic.in** पर भिजवायेगे, जो बाद प्रति-हस्ताक्षर उन्हे जरिये मेल लौटाये जावे।
3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पास जारी कराने एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय को भिजवाने का उत्तरदायित्व सब रजिस्ट्रार, भीलवाड़ा (प्रभारी अधिकारी, पास प्रकोष्ठ) का होगा।

आदेश की सभी संबंधित द्वारा त्वरित पालना सुनिश्चित की जावे।


संलग्न :- प्रारूप


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, भीलवाड़ा
11. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा

12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
13. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
15. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
16. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
17. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
18. सब रजिस्ट्रार, भीलवाड़ा
19. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
21. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
22. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश का समाचार पत्रों, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे तथा मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।
23. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
24. कार्यालय अधीक्षक, जिला कार्यालय


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा

:: परिवहन हेतु विशेष पास ::

वर्तमान में कोरोना वयरस (COVID-19) के सक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु सम्पूर्ण राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन हेतु राज्य के भीतर सार्वजनिक परिवहन वाहन पर दिनांक 22-03-2020 प्रातः 7.00 बजे से पूर्णतः रोक लगाई गई है।

अतः विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत निम्नानुसार विशेष पास जारी किया जाता है।

1	धारक का नाम व पता	
2	वाहन संख्या	
3	वाहन का प्रकार	
4	यात्रा/परिवहन का विवरण	
5	वैधता अवधि	

उक्त पास आज दिनांक / /2020 को जारी किया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,

.....

प्रति हस्ताक्षर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा